



नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार

के लिए

नागरिक / ग्राहक चार्टर

विजन:

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना में तेज़ी से विस्तार के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना; अनुसंधान के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना; स्वदेशी विनिर्माण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना; बड़े पैमाने पर निवेश एकत्रित करना; तथा एक किफायती, विश्वसनीय तथा स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य के लिए अधिक कुशल कार्यबल (वर्कफोर्स) तैयार करना।

मिशन:

विकसित भारत के लिए विकसित बिजली अवसंरचना: समावेशी और सतत विकास को सशक्त बनाने के लिए स्वच्छ विद्युत पर आधारित आधुनिक, विश्वसनीय और सुरक्षित बिजली अवसंरचना।

आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखलाएँ: भारत को आत्मनिर्भर, परिवर्तनशील और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए विश्व-स्तरीय स्वदेशी विनिर्माण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखलाएँ विकसित करना।

नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना में तेज़ी लाना: वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता और वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना।

अनुसंधान और नवाचार: आगामी पीढ़ी की नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों और वैश्विक स्वच्छ-ऊर्जा नेतृत्व की दिशा में भारत के आगे बढ़ने के लिए विद्युत प्रदान करने के लिए अनुसंधान के माध्यम से नवाचार में सहायता।

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुशल कार्यबल: भारत के तेज़ी से बढ़ते स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण, प्रचालन और बनाए रखने के लिए कुशल कार्यबल विकसित करना।

मुख्य सेवाएं/लेनदेन

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
1.	पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई)।	<ul style="list-style-type: none"> परिवार के पास वहां की स्थानीय बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) से एक वैध और सक्रिय बिजली कनेक्शन होना चाहिए। राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करके इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। 	पीएमएसजी: एमबीवाई के लिए राष्ट्रीय पोर्टल: https://pm.suryaghar.gov.in/ है	रूफटॉप स्थापना की समय-सीमा, आवेदन जमा करने से लेकर सब्सिडी के वितरण तक—विभिन्न चरणों में लगने वाले समय के आधार पर अलग-अलग होती है।	कैंसल्ड चेक/बैंक पासबुक; वेंडर करार और डिस्कॉम और उपभोक्ता के बीच नेट-मीट्रिंग करार	लागू शुल्क, स्थापित प्रणाली की क्षमता पर निर्भर करते हैं।	आशीष बाथम, अवर सचिव, पीएमएसजी: एमबीवाई (011-20849066)	मीर मोहम्मद अली, निदेशक, पीएमएसजी: एमबीवाई (011-20849068)
2.	पीएम-कुसुम के घटक-ए के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) जारी करना।	डिस्कॉम प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) @ 0.40 रु. प्रति यूनिट खरीदी गई या स्थापित क्षमता के प्रति मेगावाट 6.6 लाख रु. जो भी कम हो, प्राप्त करने के पात्र हैं, <ul style="list-style-type: none"> वाणिज्यिक रूप से चालू होने की तिथि 	एमएनआरई के पीएम कुसुम प्रभाग, को।	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृति की तिथि से 24 माह तक।	<ul style="list-style-type: none"> प्रस्ताव पत्र संयंत्र से खरीदे गए मासिक यूनिटों और किए गए संबंधित भुगतानों के आधार पर पूरे किए गए वर्ष (षो) के लिए सीओडी से महीना-वार 	लागू नहीं	श्री यौरव, अवर सचिव, पीएम-कुसुम (011-2084 9048)	सुश्री सुमन चंद्रा, निदेशक, पीएम-कुसुम (011 2084 9118)

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
		<p>(COD) से एक वर्ष पूरा होने पर, और उसके बाद पाँच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष।</p> <ul style="list-style-type: none"> राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) प्रति मेगावाट 0.25 लाख रु. के सेवा शुल्क के लिए भी पात्र है। 			<p>पीबीआई गणना शीट</p> <ul style="list-style-type: none"> पीपीए की हस्ताक्षरित प्रतियां परियोजना पूर्णता रिपोर्ट का सारांश भूमि स्वामियों अर्थात् किसानों को पट्टे के किराए का समय पर भुगतान करने हेतु वचन देना। 			
3.	पीएम-कुसुम योजना के घटक-बी के तहत सीएफए जारी करना।	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की न्यूनतम बेंचमार्क लागत अथवा निविदा लागत का 30% (पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी/द्वीपों के	पीएम कुसुम प्रभाग, एमएनआरई को।	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृति की तिथि से 24 माह तक।	दिनांक 10.02.2023 और 15.04.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।	लागू नहीं	श्री आदित्य गंगवार, वैज्ञानिक-'सी' (011-2430 3204)	सुश्री सुमन चंद्रा, निदेशक, पीएम-कुसुम (011 2084 9118)

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
		लिए 50%) के सीएफए के लिए पात्र है. इसके अलावा, एसआईए कुल मिलाकर सेवा शुल्क के रूप में पात्र सीएफए के 1.33% के लिए भी पात्र है.						
4.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIAs) को पीएम-कुसुम योजना के घटक सी (IPS) के तहत (CFA) जारी करना।	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की न्यूनतम बेंचमार्क अथवा निविदा लागत के 30% (पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी/द्वीपों के लिए 50%) के सीएफए के लिए पात्र है। इसके अलावा, एसआईए समग्र रूप से सेवा शुल्कों के रूप में पात्र सीएफए के 1.33% के लिए भी पात्र है।	पीएम कुसुम प्रभाग, एमएनआरई को।	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृति की तिथि से 24 माह तक।	दिनांक 10.2.2023 और 15.04.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।	लागू नहीं	डॉ. उमाकांत साहू, उप निदेशक.	सुश्री सुमन चंद्रा, निदेशक, पीएम-कुसुम (011 2084 9118)

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
5.	पीएम-कुसुम योजना के घटक-सी (एफएलएस) के तहत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) को सीएफए जारी करना	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA), सौर संयंत्र की बेंचमार्क लागत के 30% अर्थात 1.05 करोड़ रु./मेगावाट के सीएफए के लिए पात्र है। (पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों के लिए ₹1.75 करोड़) सौर संयंत्र के लिए बेंचमार्क लागत 3.5 करोड़/मेगावाट है। इसके अलावा, एसआईए समग्र रूप से सेवा शुल्क के रूप में पात्र सीएफए के 1.33% के लिए भी पात्र है।	एमएनआरई के पीएम कुसुम प्रभाग को।	एमएनआरई द्वारा स्वीकृति की तिथि से 24 माह।	दिनांक 05.04.2024 और 15.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।	लागू नहीं।	डॉ. उमाकांत साहू, उप निदेशक	सुश्री सुमन चंद्रा, निदेशक, पीएम-कुसुम (011 2084 9118)
6.	सौर पीवी मॉड्यूलों और सेलों के लिए मॉडलों और निर्माताओं	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण	आवेदन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	एमएनआरई को निर्धारित प्रारूप में, पूर्ण आवेदन पत्र	एमएनआरई की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र में दी गई चेकलिस्ट के अनुसार,	एमएनआरई की वेबसाइट पर उपलब्ध एएलएमएम	मोहम्मद अजमल मंसूरी, वैज्ञानिक-सी,	संजय जी. कर्णधर, वैज्ञानिक-ई, ग्रिड सौर विद्युत प्रभाग,

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
	(एएलएमएम) की अनुमोदित सूची।	आवेदन पत्र प्रस्तुत करना।	(एमएनआरई), अटल अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 में जमा किए जाएंगे	जमा करने के 60 दिनों के अंदर।	सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन।	आदेश/दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार।	ईमेल: azmal.mnre@gov.in, दूरभाष: +91-11-20849050	ईमेल: karndhar.sg@nic.in, दूरभाष: +91-11-20849047
7.	विंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर(डब्ल्यूओई जी) के निर्माण और/या रखरखाव के लिए पुर्जा, उप-भागों और कच्चे माल के आयात के लिए रियायती सीमा शुल्क प्रमाणपत्र (सीसीडीसी) जारी करना।	1. आवेदक: पवन संचालित विद्युत जनरेटर (डब्ल्यूओईजी) के निर्माता और निर्दिष्ट घटक निर्माता। • मॉडल अनुमोदन: डब्ल्यूओईजी मॉडल टाइप प्रमाणित होने चाहिए और एमएनआरई द्वारा जारी मॉडलों और निर्माताओं की प्रचलित संशोधित सूची (आरएलएमएम) में शामिल किए जाने चाहिए।	कहां: ऑनलाइन पोर्टल - https://ccdc.wind.gov.in/ कैसे: सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों के साथ आवेदन पत्र (पोर्टल पर "सीसीडीसी - विंड एप्लीकेशन"	- समुद्री मार्ग के माध्यम से खेपों के लिए 9 दिन। - हवाई मार्ग से खेपों के लिए 3 दिन। (यह समय सीमा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी मामलों में पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के बाद लागू होती है।	आवेदन के साथ प्रस्तुत/अपलोड किया जाना है: • आपूर्तिकर्ता द्वारा आयातक के नाम पर जारी वाणिज्यिक चालान। • लदान का बिल। • पैकेजिंग सूची। • अनुलग्नक ए और अनुलग्नक बी में आईईसी और आईएसओ वचन प्रमाणपत्र	शून्य	आवेदन प्रसंस्करण और जारी करने के लिए: वीरेंद्र सिंह नरुका, अनुभाग अधिकारी, पवन ऊर्जा प्रभाग, ईमेल: virendra.mnre@gov.in	प्रबीर कुमार दास, वैज्ञानिक-ई पवन ऊर्जा प्रभाग, ई मेल: Prabir.dash@nic.in

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
		<p>1. वस्तु पात्रता: आयातित वस्तुओं को दिनांक 30.06.2017 वित्त मंत्रालय (राजस्व) अधिसूचना संख्या 50/217-सीमा शुल्क और बाद के संशोधनों के अनुसार रियायती सीमा शुल्क के लिए पात्र होना चाहिए।</p> <p>1. प्रक्रिया:</p> <p>1. निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन जमा करें।</p> <p>2. आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।</p> <p>3. सीसीडीसी जारी करने के लिए एमएनआरई द्वारा आवेदन और दस्तावेजों पर कार्रवाई और जांच की जाएगी।</p>	नाम से) ऑनलाइन जमा करें।		<ul style="list-style-type: none"> अब तक किए गए क्रय आदेशों के आधार पर की गई खरीद का ब्यौरा। निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक आवेदन के साथ कार्यशील उपयोगिता रिपोर्ट। प्रत्येक तिमाही के अंत में निर्धारित प्रारूप में त्रैमासिक उपयोगिता रिपोर्ट। <p>निर्धारित प्रारूप में लागू वित्तीय वर्ष के लिए विनिर्माण योजना.</p>			

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
8.	पारेषण अवसंरचना (जीईसी-1 और II) (इंट्रा-स्टेट) के विकास के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की योजना के तहत सीएफए जारी करना।	सीसीईए से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार सभी जीईसी कार्यान्वयनकारी राज्यों को सीएफए जारी किया गया है। जीईसी-1 में, 8 राज्य सीएफए के लिए पात्र हैं जबकि योजना के चरण- II में, 07 राज्य पात्रता रखते हैं।	पात्र राज्यों को सीएफए जारी करने के लिए सीईए को पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसकी प्रति जीईसी डिवीजन एमएनआरई को अंकित होती है। सीईए की सिफारिश के आधार पर प्रस्ताव को पीएसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और पीएसी की सिफारिश पर, सक्षम प्राधिकारी की	45 दिन	(i) योजना दिशानिर्देश के अनुसार राज्य का पूर्ण प्रस्ताव। (ii)सीईए की सिफारिश (iii)पीएसी की सिफारिश	लागू नहीं	श्री तरुण सिंह, वैज्ञानिक 'ई' फोन नंबर-011 20849089	श्री राजेश कुल्हारी, संयुक्त सचिव

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
			उचित स्वीकृति के बाद संबंधित राज्य को केन्द्रीय वित्तीय सहायता वितरित की जाती है.					
9.	इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि जारी करना।	MNRE योजना दिशानिर्देशों और SECI के प्रस्तावों के आह्वान के अनुसार, इलेक्ट्रोलाइज़र स्वदेशी विनिर्माण किया जाएगा।	एसईसीआई को समय-समय पर जारी उनकी शुरु करने की क्रिया/आरएफ पी/दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट करना।	एस.सी.डी. या विनिर्माण सुविधा की वास्तविक कमीशनिंग तिथि (सीओडी), जो भी पहले हो, से 5 वर्ष के लिए प्रतिबद्ध इलेक्ट्रोलाइज़र की बिक्री पर वार्षिक आधार पर विनिर्माण सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।	एसईसीआई की कमीशनिंग प्रक्रिया / आरएफपी / समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कि जाती है।	आवंटित विनिर्माण क्षमता के 14,80,000 रु./ MTPA का पीबीजी।	श्री प्रशांत द्विवेदी, वैज्ञानिक-सी, (एससीसी, एमएनआरई) prashant.mnre@gov.in	डॉ. प्रसाद ए. चापेकर, निदेशक, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम)

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
10.	ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन जारी करना।	एमएनआरई योजना दिशानिर्देशों और एसईसीआई कॉल फॉर प्रपोजल्स के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन।	समय-समय पर जारी उनकी कमीशनिंग प्रक्रिया / आरएफपी / दिशानिर्देशों के अनुसार एसईसीआई को रिपोर्ट करें।	एससीडी (या दंड के साथ विस्तारित अवधि, यदि लागू हो) या आरएफएस के तहत स्वीकार की गई पूर्ण परियोजना क्षमता / क्षमता के कमीशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक आधार पर ग्रीन हाइड्रोजन (जीएच2) उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।	एसईसीआई की कमीशनिंग प्रक्रिया / आरएफपी / समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार।	आवंटित उत्पादन क्षमता का 5,000 रु. / MTPA का उत्पादन आधारित (पीबीजी)।	श्री प्रशांत द्विवेदी (वैज्ञानिक-सी, एमएनआरई) prashant.mnre@gov.in	डॉ. प्रसाद ए. चापेकर, निदेशक, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम)
11.	उर्वरक इकाइयों को ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन जारी करना।	एमएनआरई योजना दिशानिर्देशों और एसईसीआई कॉल फॉर प्रपोजल्स के अनुसार उर्वरक इकाइयों को ग्रीन अमोनिया का	एसईसीआई को समय-समय पर जारी उनकी कमीशनिंग प्रक्रिया/आरए	SECI/खरीददार को आपूर्ति शुरू होने की तिथि से 3 वर्ष अवधि के लिए वार्षिक/त्रैमासिक	एसईसीआई की समय-समय पर जारी कमीशनिंग प्रक्रिया / आरएफपी / दिशानिर्देशों के अनुसार।	आवंटित उत्पादन और आपूर्ति क्षमता का 7,500 रु. /	श्री प्रशांत द्विवेदी वैज्ञानिक-सी, एमएनआरई)	डॉ. प्रसाद ए. चापेकर, निदेशक, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम)

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
		उत्पादन और आपूर्ति करना।	फपी/दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट करना।	आधार पर उत्पादित और आपूर्ति कि गई ग्रीन अमोनिया के लिए पूर्ण परियोजना क्षमता/स्वीकृत क्षमता के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।		MTPA का पीबीजी।	prashant.mnre@gov.in	
12.	रिफाइनरियों को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन जारी करना।	एमएनआरई योजना के दिशा-निर्देशों और तेल पीएसयू अनुबंधों के अनुसार, रिफाइनरियों को ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और आपूर्ति।	सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों/सीएच टी को समय-समय पर जारी उनकी कमीशनिंग प्रक्रिया/आरए फपी/दिशा-निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट करना।	अनुबंध की शर्तों के अनुसार	अनुबंध की शर्तों के अनुसार	अनुबंध की शर्तों के अनुसार	श्री प्रशांत द्विवेदी वैज्ञानिक-सी, एमएनआरई) prashant.mnre@gov.in	डॉ. प्रसाद ए. चापेकर, निदेशक, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
13.	भारत में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमाणन।	वर्तमान में, इस योजना के तहत “इलेक्ट्रोलिसिस” और “बायोमास का रूपांतरण” को हाइड्रोजन उत्पादन के पात्र मार्गों के रूप में माना जाता है।	ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक एक एसीवी एजेंसी द्वारा सत्यापित ग्रीन हाइड्रोजन एमआरवी फ्रेमवर्क में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज और डेटा तैयार करेगा। सत्यापन के बाद, निर्माता ग्रीन हाइड्रोजन पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करेगा।	भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के अनुसार	भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के अनुसार/जैसा कि जीएचसीआई पोर्टल (विकसित किया जा रहा है) पर उल्लेख किया गया है।	ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन के 5 रुपये प्रति 100 किलोग्राम (या उसके हिस्से) के अंतिम प्रमाण पत्र पर प्रमाणन शुल्क।	श्री अभिलाष राजवंशी (पीडी, एनजीएचएम) abhilash.rajwanshi@gov.in	डॉ. प्रसाद ए. चापेकर, निदेशक, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
14.	NBP के अंतर्गत देश में जैव ऊर्जा (बायोएनर्जी)	• सरकार/अर्ध-सरकारी एजेंसी का कोई भी व्यक्ति, संगठन,	बायोऊर्जा पोर्टल (https://biou	सीएफए के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए	WTE: https://mnre.gov.in	शून्य	WTE:	डॉ. गौरव मिश्रा, वैज्ञानिक-एफ, दूरभाष-20849092

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
	परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान करना, जो इस प्रकार हैं: वेस्ट टू एनर्जी (WTE) कार्यक्रम बायोमास कार्यक्रम बायोगैस कार्यक्रम	<p>उद्योग। सरकारी एजेंसी। परियोजना डेवलपर डब्ल्यूटीई और बायोमास कार्यक्रम के लिए बायोऊर्जा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> कोई भी व्यक्ति, किसान या किसानों का समूह—जिसमें उद्योग और सहकारी समितियाँ भी शामिल हैं। प्रोजेक्ट डेवलपर को बायोगैस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और बायोगैस कार्यक्रम के तहत 'कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी' को वास्तविक (भौतिक) आवेदन जमा करने होंगे। 	<p>rja.mnre.gov.in)- डब्ल्यूटीई और बायोमास कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी- बायोगैस कार्यक्रम के लिए बायोगैस पोर्टल और भौतिक अनुप्रयोग</p>	डब्ल्यूटीई और बायोमास परियोजनाओं के लिए 100 दिन।	<p>n/en/waste-to-energy/ बायोमास: https://mnre.gov.in/en/bio-mass/ बायोगैस: https://mnre.gov.in/en/bio-gas/</p>		<p>श्री विकास कुमार उपाध्याय, वैज्ञानिक 'सी' फ़ोन: 24303205 ईमेल: bikash.mnre@gov.in बायोमास: श्री संजय कुमार शाही, वैज्ञानिक 'ई' फ़ोन: 20849064 Email: sk.shahi@nic.in बायोगैस:</p>	ईमेल: Gaurav.mishra76@gov.in

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
							श्री विकास कुमार उपाध्याय, वैज्ञानिक 'सी' फ़ोन: 24303205 ईमेल: bikash.mnre@gov.in	
15.	'अपशिष्ट से ऊर्जा' (Waste to Energy) परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए संयंत्र और मशीनरी के आयात हेतु रियायती सीमा शुल्क प्रमाण पत्र प्रदान करना।	कोई भी व्यक्ति, संगठन, उद्योग, या सरकारी/अर्ध-सरकारी एजेंसी, जो 'अपशिष्ट से ऊर्जा' (Waste to Energy) परियोजनाएं स्थापित करने के लिए संयंत्र और मशीनरी आयात करती हैं।	आवेदन संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों (SNAs) के माध्यम से अग्रेषित किया जाएगा।	SNA से प्रस्ताव प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर	https://mnre.gov.in/en/bio-energy-policies-and-guidelines/	शून्य	श्री विकास कुमार उपाध्याय, वैज्ञानिक 'सी' फ़ोन: 24303205 ईमेल: bikash.mnre@gov.in	डॉ. गौरव मिश्रा, वैज्ञानिक-एफ, दूरभाष-20849092 ईमेल: Gaurav.mishra76@gov.in
16.	देश भर में बायोएनर्जी परियोजनाओं और योजनाओं के	IREDA और बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र (BDTCs)	--	--	--	--	श्री विकास कुमार उपाध्याय, वैज्ञानिक 'सी'	डॉ. गौरव मिश्रा, वैज्ञानिक-एफ, दूरभाष-20849092

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
	कार्यान्वयन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना।						फ़ोन:24303205 Email: bikash.mnre@gov.in	ईमेल: Gaurav.mishra76@gov.in
17.	बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत लघु बायोगैस संयंत्रों के नए डिज़ाइनों/विनिर्माताओं को अनुमोदन	कोई भी व्यक्ति, संगठन, उद्योग, सरकारी/अर्ध-सरकारी एजेंसी/संस्थान, या डेवलपर, मंत्रालय द्वारा RfP आमंत्रित किए जाने पर इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।	आवेदक को बायोगैस संयंत्र मॉडलों के नए डिज़ाइनों की स्वीकृति हेतु, RfP आमंत्रित किए जाने पर, मंत्रालय को RfP भेजना होगा।	1 वर्ष	--	शून्य	श्री विकास कुमार उपाध्याय, वैज्ञानिक 'सी' फ़ोन: 24303205 ईमेल: bikash.mnre@gov.in	डॉ. गौरव मिश्रा, वैज्ञानिक-एफ, दूरभाष- 20849092 ईमेल: Gaurav.mishra76@gov.in
18.	संस्थानों और उद्योगों द्वारा अनुसंधान एवं विकास (R&D) गतिविधियों से संबंधित सहायता	प्रस्ताव MNRE R&D पोर्टल पर जमा किए जाते हैं, बाहरी विशेषज्ञों के सुझावों के साथ तकनीकी रूप से उनका मूल्यांकन किया जाता है, RDPAC	MNRE के R&D पोर्टल पर आवेदन करें। - https://research.mnre .	ऐसे प्रस्ताव जमा करने के 75 दिन बाद।	MNRE की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में प्रोजेक्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।	लागू नहीं	सुश्री प्रिया, वैज्ञानिक 'डी' (priya.mnre@gov.in)	डॉ. संगीता एम. कस्तूरे, वैज्ञानिक-जी

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
	के लिए प्रस्तुत पूर्ण प्रस्तावों का समय पर अनुमोदन/निपटान। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में R&D परियोजनाओं के लिए बाद की निधियों का जारी किया जाना।	द्वारा उन्हें मंजूरी दी जाती है, IFD द्वारा सहमति दी जाती है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, और इसके बाद निधियों की स्वीकृति और जारी की जाती है। भूतापीय परियोजनाओं पर भूतापीय नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।	gov.in/home		(https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3716e1b8c6cd17b771da77391355749f3/uploads/2022/12/2022122147-1.pdf) साथ ही R&D पोर्टल पर भी (https://research.mnre.gov.in/api/public/Resources_for_grantees/Application/Proforma_for_Submission_of_Proposals_for_RDD&D_Projects.pdf)			
19.	मंत्रालय की HRD योजना के 'अल्पकालिक प्रशिक्षण और कौशल विकास	कोई भी शैक्षणिक/अनुसंधान/प्रशिक्षण संस्थान, संगठन या उद्योग HRD पोर्टल अथवा	HRD पोर्टल hrd.mnre.gov.in	प्रस्ताव जमा करने के 60 दिन बाद।	प्रोजेक्ट प्रस्ताव MNRE की वेबसाइट, HRD पोर्टल और संबंधित वेबसाइटों पर	शून्य	श्री सुमन कुमार, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास	डॉ. वसंता वी. ठाकुर Vasanta.thakur@nic.in

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
	कार्यक्रम' घटक के अंतर्गत, मानव संसाधन के प्रशिक्षण/कौशल विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।	कार्यान्वयन एजेंसियों के कौशल विकास कार्यक्रमों के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है।	सूर्यमित्र - https://suryamitra.nise.res.in/ वायुमित्र- https://vsdp.niwe.res.in/ जल ऊर्जा मित्र - https://jalurj.amitra.iitr.ac.in/		उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है।			
20.	मंत्रालय की HRD योजना के 'राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा फेलोशिप' (NREF) घटक के तहत, M.Sc., M.Tech, Ph.D. छात्रों, रिसर्च एसोसिएट्स और पोस्ट-डॉक्टरल	शीर्ष 100 NIRF शैक्षणिक/अनुसंधान/सं गठन HRD पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे।	HRD पोर्टल hrd.mnre.gov.in	प्रस्ताव जमा करने के 60 दिन बाद।	चयनित छात्रों की शैक्षिक योग्यताएं, मार्कशीट, GATE और NET प्रमाणपत्र	शून्य	श्री सुमन कुमार, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास	डॉ. वसंता वी. ठाकुर Vasanta.thakur@nic.in

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
	फेलो को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उच्च अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए फेलोशिप सहायता प्रदान करना।							
21.	शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों को लैब सहायता के लिए एकमुश्त अनुदान प्रदान करना, ताकि NRE में M.Sc., M.Tech और Ph.D. पाठ्यक्रम संचालित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके।	शीर्ष 100 NIRF शैक्षणिक/अनुसंधान/सं गठन HRD पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे।	HRD पोर्टल hrd.mnre.gov.in	प्रस्ताव जमा करने के 60 दिन बाद।	चयनित छात्रों की शैक्षिक योग्यताएं, अंक-तालिकाएं, GATE और NET प्रमाणपत्र	शून्य	श्री सुमन कुमार, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास	डॉ. वसंता वी. ठाकुर Vasanta.thakur@nic.in

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
22.	मंत्रालय की HRD योजना के 'राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा इंटरनशिप' (NREI) घटक के अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा (RE) के क्षेत्र में अकादमिक डिग्री प्राप्त कर रहे छात्रों को वजीफा (स्टाइपेंड) प्रदान करना।	इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन और अन्य संकायों के छात्र मंत्रालय तथा इसके अधीन आने वाले संगठनों में इंटरनशिप करेंगे, ताकि वे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों को समझ सकें।	HRD पोर्टल hrd.mnre.gov.in	प्रस्ताव जमा करने के 30-60 दिनों के बाद।	चयनित छात्रों की शैक्षिक योग्यताएं, अंक-तालिकाएं, GATE और NET प्रमाणपत्र	शून्य	श्री सुमन कुमार, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास	डॉ. वसंता वी. ठाकुर Vasanta.thakur@nic.in
23.	CPGRAMS के माध्यम से जन शिकायतों का समाधान	<ul style="list-style-type: none"> कोई भी पीड़ित व्यक्ति प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा संचालित CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से अपनी 	https://pgportal.gov.in/Signin	इस संबंध में DARPG के दिशानिर्देशों के अनुसार।	दस्तावेज के लिए कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है।	शून्य	नोडल अधिकारी - श्री रामपाल सिंह, निदेशक Tel:-011-20849119 Email: rampal.singh67@gov.in अपीलीय प्राधिकारी	सुश्री मिनी प्रसन्नाकुमार, उप महानिदेशक, दूरभाष: 011-20849138 ईमेल: miniprasanna.k@nic.in

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
		<p>शिकायत दर्ज करा सकता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> पोर्टल पर प्राप्त शिकायत को संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) को भेज दिया जाता है। GRO इसकी जांच करता है और पोर्टल पर ही शिकायतकर्ता को इसका जवाब भेज देता है। 					<p>सुश्री मिनी प्रसन्नकुमार, उप महानिदेशक, Tel:-011-20849138 ईमेल:- miniprasanna.k@nic.in</p>	
24.	RTI आवेदनों का समय पर निपटान (ऑनलाइन / मैन्युअली प्राप्त)	<ul style="list-style-type: none"> कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के RTI ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या भौतिक रूप में RTI आवेदन जमा कर सकता है। ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त RTI आवेदन को निपटान के लिए 	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए: https://rtionline.gov.in/ वास्तविक रूप में आवेदन जमा करने के लिए: संबोधित:	RTI अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय-सीमाओं के अनुसार।	दस्तावेज के लिए कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है।	आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार।	नोडल आरटीआई अधिकारी एमएनआरई	सुश्री मिनी प्रसन्नाकुमार, उप महानिदेशक, दूरभाष: 011-20849138 ईमेल: miniprasanna.k@nic.in

क्रम सं.	सेवा का नाम	सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया	कहां और कैसे आवेदन करें	सेवा प्राप्त करने की समय-सीमा	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई हो	उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकरण
		संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) को भेज दिया जाता है। वास्तविक रूप में प्राप्त RTI आवेदन को RTI ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज किया जाता है और फिर निपटान के लिए संबंधित CPIO को भेज दिया जाता है।	नोडल अधिकारी (RTI), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.					
